(वाद संख्या–2002/18)

04.02.2020

परिवादी, मिथिलेश कुमार निराला, उपस्थित है।

परिवादी को सुना।

प्रस्तुत मामला गर्दनीबाग (पटना) स्थित विद्युत कार्यालय के सहायक विद्युत अभियन्ता (आपूर्ति), सहायक विद्युत अभियन्ता (राजस्व) एवं मीटर रीडर के द्वारा परिवादी को उसके अनुसूचित जाति का होने के आधार पर उसके गर्दनीबाग स्थित सरकारी आवास में लगे बिजली कनेक्शन में साजिशपूर्वक गलत मीटर रीडिंग कर, गलत बिल देने तथा सुधार करने हेतु रिश्वत मांगने व रिश्वत नहीं देने पर उसे मानसिक एवं आर्थिक क्षति पहुंचाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में SBPDCL के उप–महाप्रबंधक द्वारा यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी की ओर से लोकायुक्त, बिहार/महानिरीक्षक, निगरानी विभाग, बिहार के समक्ष दिये गये आवेदन के आलोक में परिवाद–पत्र में उल्लिखित तथ्यों के संबंध में महाप्रबंधक–सह–मुख्य अभियन्ता, पेसू, पटना से जाँच करायी गयी। जाँच–प्रतिवेदन के आलोक में विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल, **गर्दनीबाग के तत्कालीन सहायक विद्युत अभियन्ता, विक्रम कुमार** तथा **विद्युत अभियन्ता (राजस्व) श्रीमती सुषमा दयाल** पर आरोप प्रतिवेदित किया गया, तद्नुसार उन दोनों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। विभागीय कार्यवाही में श्रीमती सुषमा दयाल पर लगे आरोपों से उन्हें आरोप मुक्त कर दिया गया, जबकि श्री विक्रम कुमार को विभागीय कार्यवाही के आधार पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा दिये गये दण्ड को अपीलीय प्राधिकार द्वारा इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि विभागीय कार्यवाही में इस कृत्य के लिए मुख्य रूप से दोषी श्रीमति दयाल को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा आरोप मुक्त कर दिया गया है। SBPDCL के अपीलीय प्राधिकार के दिनांक–29.08.2017 के संकल्प में यह स्वीकार किया गया है कि परिवादी, श्री निराला के सरकारी आवास में लगे मीटर के आधार पर दोषपूर्ण विद्युत विपत्र सुधार में अनुचित रूप से एक वर्ष से भी अधिक का समय लग गया। **ऐसी परिस्थिति में उक्त दोषपूर्ण विद्युत विपत्र सुधार की कार्रवाई में SBPDCL के किसी कर्मी की लापरवाहिता का नहीं पाया जाना आश्चर्यजनक है। फिर भी दोषपूर्ण विद्युत विपत्र के सुधार करने में अनावश्यक व अनुचित रूप से किये गये विलम्ब से परिवादी को मानसिक/शारीरिक व आर्थिक रूप (रू0,28016/–) से क्षति हुई है, जिसकी क्षतिपूर्ति SBPDCL के द्वारा की जानी चाहिए।**

Bihar Human Rights Commission, Patna

अतः मामले के तथ्यों व परिस्थितियों पर सम्यक् विचारोपरान्त, आयोग द्वारा महाप्रबंधक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (SBPDCL), विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–21 को **आदेश पारित होने के छः सप्ताह के अन्दर क्षतिपूर्ति के रूप में परिवादी मिथिलेश प्रसाद निराला को अठाईस हजार (28,000/–) रुपये का भुगतान करने की अनुसंशा की जाती है।**

महाप्रबंधक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (SBPDCL), विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–21 को यह निर्देश दिया जाता है कि उपरोक्त क्षतिपूर्ति की राशि का श्री मिथिलेश कुमार निराला को ससमय भुगतान करने के उपरान्त आयोग को दिनांक–15.04.2020 तक अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करे।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति महाप्रबंधक, साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड (SBPDCL), विद्युत भवन, बेली रोड, पटना–21 व परिवादी, श्री मिथिलेश कुमार निराला को भेजी जाय।

दिनांक–22.04.2020 को संचिका उपस्थापित की जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>

Bihar Human Rights Commission, Patna